संख्या:56/2016/248/35-4-2016

प्रेषक,

अबरार अहमद,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उ0 प्र0 लखनऊ।

नियोजन अनुभाग-4 लखनऊ दिनांक:12 फरवरी,2016

विषय : वर्ष 2015-16 में त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत निर्गत शासनादेश में संशोधन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-52/2016/223/35-4-2016 दिनांक 09 फरवरी,2016 द्वारा जनपद इटावा में सड़क निर्माण के कार्य की रू. 11096.34 लाख की लागत पर पुनरीक्षित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गई है। उकत शासनादेश में अंकित कार्य का नाम को राष्ट्रीय मार्ग संख्या-92 (नया एन0एच0-719) बेवर-इटावा-ग्वालियर मार्ग के चैनेज किमी0 60.00 से 69.85 के भाग को दो लेन से चार लेन चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण" पढ़ा जायेगा।

इस सीमा तक उक्त सन्दर्भित शासनादेश दिनॉक 09 फरवरी, 2016 संशोधित समझा जायेगा।

भवदीय,

(अबरार अहमद)
विशेष सचिव

संख्या:56/2016/248(1)/35-4-2016 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, इलाहाबाद।
3- प्रमुख सचिव, लोक निर्माण।
4- प्रमुख सचिव, वित्त।
5- निजी सचिव, मा. मुख्य मंत्री जी।
6- मण्डलायुक्त, कानपुर।
7- जिलाधिकारी, इटावा।
8- मुख्य विकास अधिकारी, इटावा।
9- वरिष्ठ कोषाधिकारी, इटावा।
10-गार्ड फाईल।
11-वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग- 5
12-राज्य योजना आयोग-1
13-जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, इटावा।

आज्ञा से ,

(अबरार अहमद)
विशेष सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in